दाण्डिक प्रकरण क्रमांक 1683/2022 **राज्य विरूद्ध कृष्ण कुमार पंधरे**

Witness No.....**03**.....for.....**अभियोजन साक्षी**.....Deposition taken the.....**04.12.2024**.....day of.....**बुधवार**.....Witness's apparent age.....**59 वर्ष**..... States on affirmation.....**शपथपूर्वक**.....may name is..... **श्री दीपक सिंह**..... son of.....**स्व. श्री बी.एस. राजपूत**.....Occupation.....**प्रधान आरक्षक (370)**..... address.....**थाना खैरागढ , जिला के.सी.जी. (छ.ग.)**.....

.....

समय 03:20 से

मुख्य परीक्षण द्वारा ए.डी.पी.ओ श्री निखिल सुषमाकर

01. मैं दिनांक 25.05.2022 को थाना पुलिस चौकी चिचोला में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था । उक्त दिनांक को मुखबीर से सूचना प्राप्त हुई कि डोंगरगढ से चिचोला की ओर एक सफेद कलर की पिकअप वाहन क्रमांक एम.एच. 34 ए.बी. 7670 में अवैध रूप से पशु परिवहन होने वाली हैं । उक्त सूचना पर अधिग्रहण वाहन सी.जी. 08 ए.एन. 5519 में आरक्षक क्रमांक 36, 160, 1343 सैनिक 248 के साथ ग्राम मक्काटोला चौक गवाह श्रवण लाउत्रे तथा कमलेश सिन्हा के साथ पहुंचकर नाके बंदी किया गया । नाके बंदी के दौरा डोगरगढ की ओर से एक सफेद रंग का पिकअप वाहन आते दिखी, जो पुलिस के नाके बंदी को देखकर पिकअप का वाहन चालक रोड में वाहन को खडी अंधेरे का फायदा उठाकर मक्काटोला बस्ती की ओर भाग गया तब गवाहो के साथ जाकर पिकअप वाहन को देखा, जिसका नंबर एम.एच. 34 ए.बी. 7670 था, जिसमें हरा रंग का तालपत्ती ढका हुआ था । तालपत्ती को हटाकर देखा जिसमें पशुओ को क्रूरता पूर्वक पैर बांधा हुआ था ।

02. मेरे द्वारा गवाहो को मुखबीर सूचना से अवगत कराकर धारा 160 द.प्र.सं. की नोटिस प्र.पी. 02 दी गई थी । मेरे द्वारा विवेचना के दौरान जिआन 207 पिकअप वाहन क्रमांक एम.एच. 34 ए.बी. 7670 मे लोड 11 नग मवेशी, जिसमें सफेद रंग का गाय तीन नग, लाल रंग का गाय तीन नग, काला रंग का गाय दो नग, प्यूरी रंग का गाय एक नग, बछिया लाल रंग का दो नग जप्त किया गया था । जप्ती पत्रक प्र.पी. 03 है, जिसके ब से ब भाग पर मेरे हस्ताक्षर हैं । मेरे द्वारा

घटना का नजरी नक्शा प्र.पी. 05 तैयार किया गया हैं, जिसके अ से अ भाग पर मेरे तथा ब से ब भाग पर गवाह के हस्ताक्षर हैं ।

03. मेरे द्वारा घटना के संबंध में पुलिस चौकी चिचोला अपराध क्रमांक 0/2022 में देहाती नॉलसी तैयार की गई थी । देहाती नॉलसी प्र.पी. 06 है, जिसके अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर हैं। मेरे द्वारा विवेचना के दौरान पशु चिकित्सक पशु चिकित्सालय छुरिया को जप्त शुदा मवेशीयो को परीक्षण हेतु तहर्रीर किया गया था । तहर्रीर प्र.पी. 07 है, जिसके अ से अ भाग पर मेरे तथा ब से ब भाग पर पावती सील अंकित हैं ।

04. मेरे द्वारा अध्यक्ष नंदनी गौशाला ग्राम भंडारपुर पुलिस चौकी चिचोला के समक्ष जप्तशुदा मवेशीयो को गौ शाला में सुरक्षित रखने के लिये आवेदन किया गया था । आवेदन प्र.पी. 08 है, जिसके अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर हैं । मेरे द्वारा विवेचना के दौरान गवाह श्रवण लाउत्रे तथा कमलेश सिन्हा का पुलिस बयान उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किया गया था । मेरे द्वारा उक्त प्रकरण में पुलिस चौकी चिचोला का जप्त माल रजिस्टर संलग्न किया गया हैं । जप्त माल रजिस्टर प्र.पी. 09 है, जिसके अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर हैं ।

<u>प्रतिपरीक्षण द्वारा</u> श्री अरसद खान **<u>अधिवक्ता वास्ते अभियुक्त</u>**

05. यह कहना सही है कि मैं मुखबीर सूचना के आधार पर घटना स्थल पर गया था । यह कहना सही है कि जब किसी विवेचना हेतु थाने से कोई पुलिसकर्मी जाता है तब वह एक प्रविष्ठी रवानगी सान्हा में अंकित करता हैं । यह कहना सही है कि मेरे द्वारा प्रकरण में रवानगी सान्हा संलग्न नहीं किया गया हैं । यह कहना सही है कि घटना स्थल जाने के पहले मैंने दो गवाह कमलेश सिन्हा एवं श्रवण लाउत्रे को तैयार किया । यह कहना सही है कि नोटिस प्र.पी. 02 में मेरा कही भी हस्ताक्षर नहीं हैं ।

06. यह कहना गलत है कि जप्ती पत्रक प्र.पी. 03 के अनुसार जप्ती की कार्यवाही कमलेश सिन्हा एवं श्रवण लाउत्रे के समक्ष नहीं की गई हैं । यह कहना सही है कि संपत्ति जप्ती पत्रक प्र.पी. 03 में जप्तशुदा संपत्ति का कौन मालिक था, किससे जप्त किया इसके संबंध में कोई उल्लेख नहीं हैं। यह कहना सही है कि प्र.पी. 04 में लिखित मवेशीयो को पशु चिकित्सक पशु चिकित्सालय छुरिया को मेरे द्वारा ही दिया गया था । यह कहना सही है कि मेरे द्वारा पशु चिकित्सालय छुरिया

को जो मवेशी दी गई थी, वह मवेशी किसकी थी, कौन इसका मालिस था, इस संबंध में मैंने कोई जानकारी प्राप्त नहीं किया और न ही उसका कही अपने प्रकरण में उल्लेख किया हूँ ।

07. यह कहना सही है कि नजरी नक्शा प्र.पी. 05 में आस पास के लोगो का कोई हस्ताक्षर नहीं लिया हूँ और न ही साक्ष्य के रूप में इस प्रकरण में पेश किया हूँ, न ही मैंने इस संबंध में पृथक से कोई पंचनामा तैयार किया हैं । यह कहना गलत है कि उक्त नजरी नक्शा को मैंने थाने में बैठकर तैयार किया हैं । यह कहना सही है कि देहाती नॉलसी प्र.पी. 06, नजरी नक्शा प्र.पी. 05, संपत्ति जप्ती पत्रक प्र.पी. 03, पशु चिकित्सालय को छुरिया को दी गई आवेदन पत्र प्र.पी. 04, पशुओ का स्वस्थ्य परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी. 01, क्षेत्रिय परिवहन अधिकारी गोदिंया को भेजा गया आवेदन पत्र एवं नंदनी गौशाला भंडारपुर को दी गई पशुओ की सुपुर्दनामा प्र.पी. 08 जिरो में कायमी की गई हैं । यह कहना गलत है कि महाराष्ट्र पासिग की गाडी को देखकर के आरोपी के विरूद्ध झूठा मामला बनाकर न्यायालय में पेश किया हूँ ।

समाप्ति समयः– 03:50 तक

साक्षी को पढकर सुनाया गया।
सही होना स्वीकार किया।

मेरे निर्देश पर टंकित किया।

गवाह के हस्ताक्षर

सही/–
(शैलेश कुमार वशिष्ट)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
डोंगरगढ़, जिला राजनांदगांव(छ.ग.)

सही/–
(शैलेश कुमार वशिष्ट)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
डोंगरगढ़, जिला राजनांदगांव(छ.ग.)

SHAILESH KUMAR VASHISHTHA
Digitally signed by SHAILESH KUMAR VASHISHTHA
Date: 2024.12.04 17:13:28 +0530